तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19.03.2024	

आदेश

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन कि ग्राम तेलीखेड़ा पटवार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी सं. 662 रकबा 0.6828 हैक्टेयर है जो 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। जो बक्षु उर्फ बक्षुलाल की स्वअर्जित है। बक्षु उर्फ बक्षुलाल की मृत्यु दिनांक 22/12/2017 को हो चुकी है। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला है सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है बक्षु उर्फ बक्षुलाल ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि प्रार्थी को वसीयत की है। प्रार्थी वसीयत से मालिक होकर काबिज है। विपक्षी सं. 01 लगायत 05 जानबूझकर बिना किसी अधिकार के वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है और प्रार्थी को बेदखल कर विक्रय करने पर आमादा है। स्थगन आदेश से विपक्षी सं. 01 लगायत 05 को पाबन्द नही फरमाया गया तो प्रार्थी अपने जायज हको से वंचित हो जायेगा ओर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जो किसी प्रकार पूरी नही की जा सकेगी। अतः प्रार्थना है कि सिगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा ग्राम तेलीखेड़ा पटवार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी सं. 662 रकबा 0. 6828 हैक्टेयर है जो 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि को विपक्षी सं. 01 लगायत 05 विक्रय न करें, प्रार्थी को बेदखल न करें व विपक्षी सं. 06 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का इन्द्राज न करें।

विपक्षी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आराजी संख्या 662 रकबा 0.6828 हेक्टेयर ग्राम तेलीखेडा, पटवार हल्का पालडी स्व. बक्षु उर्फ बक्शुलाल की स्वअर्जित नही होकर रेस्पोडेन्ट जवाबदार व उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीद की गई आराजी है। जिस पर रेस्पोडेन्टगण का भी विरासतन बराबर–बराबर का हक हिस्सा है। यदि उक्त कथित वसीयत सही होती तो प्रार्थी बक्षु उर्फ बक्शा की मृत्यु दिनांक 22/12/2017 से चुप बैठा नहीं रहता तथा उक्त वसीयत के आधार पर उक्त आराजी का नामान्तरण अपने नाम पर खुलवा लेता। रेस्पोडेन्ट विपक्षी जवाबदारान ने उक्त आराजी मे वर्णित हक हिस्से का नामान्तरण विरासतन उनके नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, भीलवाडा के यहां प्रार्थनापत्र दिनांक 02/20/2023 को पेश किया तथा प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र एवं मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किये। कथित वसीयत फर्जी, कूटरचित व जाली है तथा अनरजिस्टर्ड है इसके आधार पर प्रार्थी उक्त अपीलाधीन नामान्तरण को कतई निरस्त कराने का अधिकारी नही है। रेस्पोडेन्ट विपक्षी जवाबदारान ने उक्त वर्णित आराजियात एवं ग्राम सांगानेर एवं तेलीखेडा, पटवार हल्का पालडी मे स्थित अन्य आराजियात व ग्राम सांगानेर मे स्थित पुश्तैनी आवासीय जायदाद के संबंध में प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध दिवानी वादपत्र बाबत विभाजन जायदाद शून्य व अवैध करार देने वसीयतनामा दिनांक 08/09/2017 के लिए जिला न्यायाधीश महोदय, भीलवाडा के यहां पेश कर रखा हैं जिसके प्रकरण संख्या 65/2023 ई.दी. हैं जो वर्तमान मे न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, भीलवाडा के यहां जैर कार्यवाही हैं। इस कारण उक्त आराजियात व अन्य आराजी व आवासीय जायदाद के संबंध मे दिवानी न्यायालय मे वाद विचाराधीन हैं इस कारण अन्तिम निर्णय दिवानी न्यायालय को करना है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में वसीयत के आधार पर कब्जा होना एवं पैतृक आधार पर नामान्तरकरण जारी होने से पक्षकारानों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु पर अन्य न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं। प्रार्थी स्वयं ने भी प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उक्त आराजियात पर उसका कब्जा हैं। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सतुंलन व अपूर्णनीय क्षति का मामला नहीं बनता हैं। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता हैं। आदेश आज दिनांक 19.03.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। यह पत्रावली मूल अपील प्रकरण के साथ संलग्न की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा